

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक:-एफ24( ) NOC18-19/ बी.एड/आकाशि/18/187

दिनांक:- 22-3-2018

**संशोधित आदेश**


एन.सी.टी.ई के आदेश क्रमांक NRC/NCTE/RJ-1097/258th Meeting /2016 /162153 dated 16-11-2016 के द्वारा महाविद्यालय का नाम Pearl Teachers Training College to Punit Teacher Training College परिवर्तित किया गया। विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक एफ 24( NOC17-18) बी.एड/आकाशि/16/377 दिनांक 25.05.2017 में अंकित महाविद्यालय के पते में एनसीटीई के उक्त आदेश के आधार पर महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	संशोधन पश्चात महाविद्यालय का नाम व पता
1	Pearl Teachers Training College, Village-Pansal, Dist.-Bhilwara(Raj.)	Punit Teacher Training College, Village-Pansal, Dist.-Bhilwara(Raj.)

  
आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को भेजकर लेख कि संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही करें।
7. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. सचिव/प्राचार्य, पुनीत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ग्राम-पंसाल, भीलवाडा।
9. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।